


मै० एस०पी० साईं आई०टी० प्रा०लि० द्वारा आई०टी०/आई०टी०जी० प्रोजेक्ट
प्लॉट नं०- 17, सेक्टर- टेकजोन-4, ग्रेटर नोएडा

- 18- परियोजना द्वारा नेशनल बोर्ड आफ वाइल्ड लाइफ से वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस प्राप्त करें।
- 19- परियोजना हेतु सिंचाई विभाग से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करें कि परियोजना स्थल यमुना नदी फ्लड प्लान के अंतर्गत नहीं आता है।
- 20- निर्माण से पूर्व केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।
- 21- परियोजना निर्माण में भूजल का प्रयोग अनुमन्य नहीं है।
- 22- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ओखला बर्ड सेन्चुरी के निकट इको सेन्सिटिव जोन के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना में परियोजना स्थल इको सेन्सिटिव जोन के अंतर्गत आने की स्थिति में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।
- 23- संस्था को निर्गत बैंक गारण्टी पत्रांक-एफ-57141/सी-1/एन०ओ०सी०-1011/2015, दिनांक 11.3.15 का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें, अनुपालन न करने की दशा में संस्था द्वारा प्रेषित बैंक गारण्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त की जा सकती है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारियों की होगी।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाये। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 30.6.15 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जायेगी।

भवदीय


(जे०एस० यादव)
सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं०.

एन०ओ०सी०

तद दिनांक

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त-1